

प्रेषक,

प्राथमिकता/ई-मेल

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-

/सा0-1/एक्स-120(187)/जि0यो0/2014-15,

दिनांक: अप्रैल, 2015

विषय:

03-पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जि0यो0)05-पशुरोग अनुसंधान तथा निदान सेवाओं का विस्तार(रा0यो0) वर्ष 2014-15 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय/उपयोग के संबंध सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र संख्या-435/बजट/29(5)/अनु0-83/04/2014-15 दिनांक: 5.11.2014, पत्र संख्या-997/बजट/29(5)/अनु0-83/04/2014-15 दिनांक: 19.03.2015 एवं संख्या-865/बजट/29(5)/अनु0-83/04/2014-15 दिनांक: 8.05.2015 द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का आवंटन आन लाइन एवं हार्ड कापी के माध्यम से किया गया था। जिसके व्यय/उपयोग के समक्ष कयादेशों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। पुनः निर्देश दिये जाते हैं, कि योजनाओं में आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1035/सा0-1/एक्स-120(187)/जि0यो0/2014-15, दिनांक: 27.10.2014 एवं पत्र संख्या-1583/सा0-1/एक्स-120(187)/जि0यो0/2014-15, दिनांक: 14.01.2015 निर्गत दिशा निर्देशों के अनुक्रम में कहना है कि जो सामान, उपकरण, मानक मद-12, 26, 43 में कय की गई है। निर्धारित प्रारूप पर मदवार अलग-अलग सूचना के साथ बिल की फोटो प्रतियाँ अनिवार्य रूप संलग्न की जायेगी।

क्र०सं०	मानक मद में आवंटित धनराशि	सामा/उपकरण एवं औषधियों का नाम	मात्रा	दर रू०में	कुल धनराशि रू० में	फर्म नाम	का
1	2	3	4	5	6	7	

योजना में आवंटित धनराशि के सापेक्ष भौतिक सत्यापन की सूचना शासन को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

अतः आपसे अपेक्षा है कि विषय की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए चाही गई सूचना निर्धारित प्रारूप पर 10 मई, 2015 तक प्रत्येक दशा में सहायक लेखा कार के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। ताकि प्रश्नगत विषय में अग्रिम कार्यवाही शासन स्तर पर की जा सके।

भवदीय

(रूद्र प्रताप)

निदेशक।

पत्रांक 42

/सा0-1/एक्स-84(555)/2015-16,

दिनांक: 23 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे संबंधित विभागीय वेबसाइट तथा ई-मेल से भेजने की कार्यवाही करें।

(रूद्र प्रताप)

निदेशक।